पत्रांक –3/एम० –51/2013सा०प्र० 304/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

पटना, दिनांक 8-1-2016

विषयः– **"बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2005" के नियम–3 के उपनियम (3) के अनुसार विभागों/संलग्न कार्यालयों का समूहीकरण और नोडल विभाग निर्धारित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वाहन चालक के पदों पर भर्त्ती एवं प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु "बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2005", (समय–समय पर यथा संशोधित) गठित की गयी है। नियमावली के नियम–3 के उपनियम (3) के तहत वाहन चालकों की प्रोन्नति हेतु विभागों एवं उनके संलग्न कार्यालयों का समूहीकरण करते हुए नोडल विभागों की घोषणा इस विभाग के परिपत्र संख्या–2424 दिनांक– 20.07.2007 द्वारा की गयी तथा वाहन चालकों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के आधार पर प्रोन्नति हेतु विभिन्न कोटि में पदों की संख्या का निर्धारण कर उक्त समूह में प्रोन्नति पर विचार करने का निदेश नोडल विभागों को दिया गया। परन्तु विभागीय परिपत्र संख्या– 2424 दिनांक– 20.07.2007 द्वारा समूहीकृत विभागों एवं उनके संलग्न कार्यालयों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई/सहयोग नहीं किये जाने के कारण नोडल विभागों द्वारा वाहन चालकों की प्रोन्नति नहीं की जा सकी जिससे वाहन चालकों के बीच असंतोष व्याप्त है।

इसी प्ररिप्रेक्ष्य में चालक संघ द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत "बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2005" के नियम–3 के उपनियम (3) के तहत वाहन चालकों की प्रोन्नति पर विचार किये जाने हेतु विभागों एवं उनके अधीनस्थ संलग्न कार्यालयों का समूहीकरण हेतु नोडल विभागों के निर्धारण संबंधी विभागीय परिपत्र संख्या– 2424 दिनांक– 20.07.2007 को निरस्त करते हुए अलग–अलग नोडल विभागों के स्थान पर केवल सामान्य प्रशासन विभाग को ही नोडल विभाग घोषित किया जाता है, जो सचिवालय के सभी विभागों एवं उनके संलग्न कार्यालयों में कार्यरत वाहन चालकों की प्रोन्नति पर विचार करेगा। प्रत्येक प्रमंडल के मुफस्सिल कार्यालयों के लिए नोडल पदाधिकारी संबंधी किये गये प्रावधान सहित प्रोन्नति समिति संबंधी अन्य प्रावधान नियमावली के अध्याय–4 के अनुसार ही रहेंगे।

विश्वासभाजन
8/1/2016
(अरूण प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव

zakaur hameed/ m-ss